Email: directoracad.cbse@nic.in
Webite: www.cbseacademic.in
Tel: 011-23212603
Tele Fax: 011-23234324

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
शिक्षासदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली–110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"ShikshaSadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002.

के.मा.शि.बो./शै./ नि. (शै.अ.प्र.न.)2015 **दिनांक: 07 जनवरी, 2015**

परिपत्र संख्या-शैक्षणिक. 03/2015

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध

सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय : हिन्दी और अंग्रेज़ी भाषाओँ में तम्बाकू मुक्त शैक्षिक संस्थाओं के विषय में बोर्ड डिस्प्ले हेतु |

प्रिय प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,

आज सम्पूर्ण विश्व में निवार्य मृत्यु और बीमारी के कारणों में तम्बाकू सबसे बड़ा कारण है और भारत तम्बाकू युक्त पदार्थों के उपभोग करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है | निकोटीन बहुत अधिक व्यसनकारी ड्रग है; और विशेष रूप से किशोर, जो बढ़ती उम्र की नाज़ुक अवस्था से गुज़र रहे हैं इसके प्रभावों के प्रति अतिसंवेदनशील हैं | धूम्रपान और अन्य तम्बाकू-पदार्थों के प्रयोग से बच्चे कभी-कभी स्कूली जीवन समाप्त करने से पहले, युवावस्था में पदार्पण करने से पूर्व अतिशीघ्र,अगणित,और कभी-कभी असाध्य, प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव से गंभीर रूप से ग्रस्त हो जाते हैं | निकोटीन के व्यसनकारी प्रभाव के कारण चार में से तीन किशोर धूम्रपानकर्ता कुछ वर्षों के बाद छोड़ना चाहते हुए भी बालिग़ अवस्था में इस व्यसन को नहीं छोड़ पाते | धूम्रपान अवैध रूप से ड्रग प्रयोग का "प्रवेश-द्वार" हो सकता है| रिसर्च अध्ययन बताते हैं कि निकोटीन का नशा बहुधा दूसरी नशीली वस्तुओं की ओर ले जाता है और भविष्य में नशीली वस्तुओं और शराब की ओर अग्रसर करने के जोखिम का कारण है|

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अनुभव करता है कि छात्रों को स्वयं को इन जानलेवा आदतों से दूर रखना चाहिए और इस सन्दर्भ में बोर्ड **ने परिपत्र सं. 58, विषय 'Guidelines on Protection from Exposure to Tobacco Smoke, 'दिनांक 20.नवंबर 2009** के द्वारा WHO के निर्देशों को के.मा.शि.बो. से संबद्ध सभी विद्यालयों को संप्रेषित किया है | बोर्ड ने किशोरों को तम्बाकू प्रयोग संबंधी व्याख्यान के लिए एक विस्तृत परामर्शी जारी की है **(परिपत्र सं. Acad.-04/2015 दिनांक 24.04.2012)**। छात्रों को तम्बाकू के प्रकोप से निबटने के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए बोर्ड ने हाल ही में एक और परिपत्र **Acad.-14/2014, दिनांक मई 30.2014** को जारी किया है और **'वर्ल्ड नो टोबैको डे' पर 'तम्बाकू विरोधी शपथ'** विज्ञापन भी ज़ारी किया गया है |

तम्बाकू मुक्त शैक्षिक संस्थाओं के लिए हिन्दी और अंग्रेज़ी भाषा में **डिस्प्ले बोर्ड** के इन नमूनों को क्रमश: **(संलग्नक -1)** में सम्मिलित किया है| ये **स्वास्थ्य सेवा निदेशालय,** दिल्ली द्वारा जारी किये गए हैं| **भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (COPTA) 2003** के निर्देशानुसार सभी विद्यालयों के लिए दोनों ही भाषाओं का डिस्प्ले आवश्यक है | *केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली सरकार के तम्बाकू नियंत्रण नियमानुसार इस निर्देश का पालन न करने पर दंड/भुगतान देना होगा |*

बच्चों में धूम्रपान और अन्य तम्बाकू प्रयोग की गंभीर समस्या को कम करने के लिए सभी विद्यालय प्रभावी ढंग से सशक्त अवस्था में मुख्य भूमिका निभाने की स्थिति में हैं | ऊपर दिए गए डिस्प्ले बोर्ड स्वीकार्य माप में शीघ्रातिशीघ्र **स्कूल चारदीवारी के बाहर, प्रवेश-द्वार पर, स्वागत कक्ष, अल्पाहार-गृह,** और अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानों पर लगे होने चाहियें |

कृपया परिपत्र संख्या Acad.-14/2014 को देखें। तृतीय अनुच्छेद में दी गयी परामर्शी में संकेत किया गया है कि बोर्ड का इस बात पर ध्यान गया है कि कुछ तम्बाकू निर्माण करने वाली कम्पनियाँ स्कूली छात्रों के साथ सम्मिलित होने के मौलिक ढंग ढूँढ रहे हैं | अतः यह परामर्श दिया जाता है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध कोई भी विद्यालय अपने किसी भी छात्र को किसी भी फर्म अथवा पूरक फर्म जो किसी भी रूप में तम्बाकू के प्रयोग को बढ़ावा देती हो ,उसके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अनुमति न दे| यह भी सलाह दी गयी है कि विद्यालय किसी भी ऐसी संस्था, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तम्बाकू उत्पाद के किसी भी नाम, चिह्न, ट्रेडमार्क, लोगो, अथवा व्यापार चिह्न या किसी अन्य विशिष्ट लक्षण से सम्बंधित हो, छात्र उसके सहभागी न बनें | इसके अतिरिक्त यह

भी ध्यान रखा गया है कि ये परामर्श केवल उन्हीं गतिविधियों और प्रतियोगिताओं में लागू होते हैं, जो तम्बाकू उत्पादों को प्रोत्साहित करते हैं, अन्यथा नहीं|

यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र हो जाना चाहिए|

नेहा शर्मा
उपनिदेशक (परीक्षा एवं अनुसंधान)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि:

1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्सटिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
10 आर्मी एडुकेशन के अपर निदेशक जनरल, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
11 सभी क्षेत्रीय निदेशक। के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति भेजने के अनुरोध के साथ।
12 सभी एसोसिएट प्रोफेसर एवं अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
13 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/अप निदेशक/सह-निदेशक, वोकेशलन सेल, के.मा.शि.बो.
14 के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी)
15 सभी सहायक प्रोफेसर एवं अपर निदेशक, के.मा.शि.बो.
16 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
17 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
18 असिस्टेंट लाइब्रेरियन, के.मा.शि.बो.
19 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
20 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
21 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
22 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
23 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के अनुभाग अधिकारी
24 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
25 प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार), के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
26 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक
27 निदेशक (एडुसैट) के निजी सहायक

उपनिदेशक (परीक्षा एवं अनुसंधान)